बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत पंचायती राज संस्थाओं हेतु अनुदान

प्रस्तावना–

बारहवें वित्त आयोग द्वारा पंचाट अवधि 2005–10 (5 वर्ष के लिए) राजस्थान राज्य की पंचायती राज संस्थाओं हेतु कुल राशि रूपये 1230 करोड का प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के आधार पर प्रत्येक वर्ष राज्य की पंचायती राज संस्थाओं के लिए राशि रूपये 246.00 करोड प्रावधित है।

उद्देश्य–

- ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति संबंधी सेवा प्रदायगी व्यवस्थाओं को सुदृढ बनाने एवं इसे सुव्यवस्थित करने हेतु आपूर्ति व्यवस्था में आवश्यक सुधार करना।
- ग्रामीण स्वच्छता की व्यापक अवधारणा के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक संस्थाओं, सामुदायिक परिसंपत्तियों, विद्यालयों आदि में स्वच्छता सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु शौचालय/मूत्रालय का निर्माण कराने, ग्रामीण परिवारों के आवास गृहों में निजी शौचालय स्थापित करने को प्रोत्साहित करने, अपशिष्ट का सुरक्षित ढंग से निपटान, ग्रामीण वातावरण में सामान्य साफ–सफाई और स्वच्छता बनाये रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- पंचायती राज संस्थाओं को डाटाबेस सृजन और पंचायती राज संस्थाओं के लेखों के उपयुक्त संधारण की व्यवस्था करना।
- पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता सुविधाओं से संबंधित परिसम्पत्तियों का रख–रखाव एवं समुचित संधारण करना।

पंचायती राज संस्थाओं द्वारा प्राप्त राशि से निम्नानुसार कार्य कराये जा सकते हैः–

- पेयजल आपूर्ति हेतु कुंओं एवं पानी की सार्वजनिक टंकियों का निर्माण।
- बावडियों टांको, कुओं, पनघट, हैण्डपम्प आदि जिनसे पयेजल आपूर्ति सुदृढ हो सके, का जीर्णोद्धार/निर्माण/संवर्घन तथा खराब हैण्ड पम्पों का उचित संधारण कराना।
- पेयजल संग्रहण स्थानों जैसे कुएँ पानी की टंकियाँ इत्यादि से ग्रामीण जन के आवासों/शिक्षण संस्थाओं/सामुदायिक भवनों आदि तक पेयजल आपूर्ति हेतु आवश्यक पाईपलाईन बिछाने की व्यवस्था करना।
- सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं और पुरूषों के लिए पृथक–पृथक सार्वजनिक शौचालयों/चल शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राजकीय शिक्षण संस्थानों में बालक–बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करना।
- पंचायत क्षेत्रों में गंदे पानी के निकास हेतु नालियों का निर्माण।
- तरल एवं ठोस अपशिष्ट के निपटान एवं निकास के लिए व्यवस्था करना।

- ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किये जाने वाले हाट बाजार, मेला स्थल, सार्वजनिक प्रदर्शनी स्थल आदि के लिए चल–शौचालयों की व्यवस्था करना।
- पंचायत क्षेत्र के कूडे करकट के निपटान एवं सामान्य साफ–सफाई बनाये रखने हेतु उपयुक्त व्यवस्था करना।
- ग्रामीण जन को स्वच्छ पेयजल तथा व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता की महत्ता संबंधी विषय पर उपयुक्त जानकारी उपलब्ध कराने हेतु लघु–पुस्तिकाओं, पम्पलैटस आदि के माध्यम से प्रचार–प्रसार की यथावश्यक व्यवस्था करना।
- पंचायत क्षेत्र में ऐसे स्थल जहां गंदे पानी के एकत्रित होने की सम्भावना हो जिससे मच्छर पनपने अथवा बीमारी फेलने का अंदेशा हो सकता हो, का चिन्हीकरण कर उपचारात्मक उपाय करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सूखे शौचालयों को फलश वाले शौचालयों में बदलना और यदि कही हो तो, मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने की उपयुक्त व्यवस्था करना।
- भूमिगत जलस्त्रोंतों से पेयजल आपूर्ति हेतु टंकियों में जल/संग्रहण करने हेतु, यदि आवश्यकता प्रतीत होती हो तो, यंत्र/मोटर के संधारण की उचित व्यवस्था करना।
- ऐसे अन्य कार्य जिनसे बारहवे वित्त आयोग द्वारा दिये गये दिशा–निर्देशों में उपरोक्तानुसार विनिर्दिष्ट उददेश्यों की पूर्ति सम्भव हो सकें।

वर्षवार आवंटन की प्रगति निम्नानुसार है :– (राशि करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशानुसार वित्तीय प्रावधान	भारत सरकार से प्राप्त राशि	पंचायती राज संस्थाओं को आवंटित राशि
2005-06	246.00	246.00	246.00
2006-07	246.00	246.00	222.94
2007-08	246.00	123.00	146.06
2008-09	246.00	369.00	369.00
2009-10	246.00	246.00	246.00
योग	**1230.00**	**1230.00**	**1230.00**

वर्ष 2006–07 से सभी ग्राम पंचायतों को बारहवे वित्त आयोग की राशि का हस्तान्तरण बैंक चेनल्स के माध्यम से किया जा रहा है जो कि भारत में अपने आप में अनुपम उदाहरण है।